वित्तीय स्वीकृति

संख्या-27/2018/678/18-2-2018-30(ल0उ0)/2017

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 06 अगस्त, 2018

विषयः-पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018- 19 में व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने तथा व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3. लाभार्थी को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों

http://shasandesh.nic.up.in

हेतु प्रशिक्षण योजना लागू किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-22/2018/650/18-2-2018-30(ल0उ0)/2017, दिनांक 29-6-2018 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

7. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 "लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग- 102-लघु उद्योग-12-अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना-42- अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर/समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग, उ0प्र0/समस्त उपायुक्त, उद्योग, उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasandesh.nic.up.in